

स्पीड पोस्ट

दिनांक: 21/01/2023

सेवामें,

निदेशक एवं सी0पी0आई0ओ0 (CPIO) RTI Cell
भारतीय वन्यजीव संस्थान, चंद्रबनी,
देहरादून-248001 उत्तराखण्ड।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मांगी जाने वाली सूचना के बारे में अनुरोध-पत्र।

1. अनुरोध कर्ता का नाम : श्री बलबीरसिंह चौहान।
2. पिता का नाम : स्व0 श्री जयसिंह चौहान।
3. निम्नलिखित सूचना कार्यालय से मांगी जाने का स्पष्ट विवरण:-

1. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि Under RTI Act, 2005 A certified copy for के आर0टी0आई0 में कार्यालय आदेश वह आर0टी0आई0 के पत्रांक संख्या व No.A/2-31/2005-WII dated 26th August, 2022 के संदर्भ में आवेदनकर्ता का इस यह कहना है कि कार्यालय द्वारा अभी तक की गयी कार्रवाई वह इस विषय पर (No.WII/RSAC /01/2019) dated 27th October, 2020 Grievances No.4 पर अभी तक इस पर जो भी कार्रवाई की गयी है उस कार्रवाई के बारे में स्पष्ट व प्रमाणित प्रतिलिपि की कापी जो भी इस पर 2 वर्षों से की गयी कार्रवाई किये जाने के बारे में प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना की कापी उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें। जोकि इस पर समिति के सभी सदस्यों के द्वारा इस प्रकार से लिखित में दिया गया है वह था जोकि निम्न लिखित हैं तथा कार्यालय की IGRC के आदेश व पत्रांक संख्या-WII/RSAC/01/2019 दिनांक 27/10/2020 के बैठक में समिति के सभी सदस्यों के निर्णयानुसार द्वारा अपनी-अपनी सहमति के द्वारा दिये गये निर्णयानुसार आवेदनकर्ता की Grievances No.4 में पेज न0-5 में यह Decision के द्वारा यह निर्णय दिया वह आदेश दिया गया था वह समिति के सभी सदस्यों ने इस पर अपना निर्णय में इस प्रकार व स्पष्ट लिखित में दिया गया निर्णय है कि प्रार्थी को-"The committee has agreed to grant to him Grade Pay from 4600 wef November 2009 to October 2016 and Grade Pay 4800 from November 2016 onwards. The calculation of his arrears will be done accordingly. However arrears will be paid on receipt of grant from Ministry in WII Grant in Aid budget." लेकिन कार्यालय के द्वारा इस पर जो भी अभी तक इस पर की गयी कार्रवाई के बारे में स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें। और साथ में इस Grievances No.4 के बारे में जो प्रार्थना-पत्र व Application dated 11th August, 2020 वह आवेदन-पत्र vide page from C/47 to C/94 की भी छायाप्रतिलिपि पेज संख्या-C/47 to C/94 की भी व पेज न0-सी/44 से सी/94 की भी स्पष्ट व प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

2. यह है कि आवेदनकर्ता यह कहना है कि यह फाईल जिस अधिकारी के पास हैं उसके बारे में वह साथ में 2 वर्षों का अधिक का समय होने पर जो भी इस पर की गयी कार्रवाई के बारे में स्पष्ट व प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

3. यह है कि आवेदनकर्ता यह कहना है कि कार्यालय आदेश संख्या No.A/307/95-WII Part -II dated 02 November, 2019 आवेदनकर्ता की पे फिक्स पत्र में वेतनमान रुपये 5500-9000 वह रुपये 6500-10500 के इन दोनों वेतनमानों के ग्रेड पे के बारे में स्पष्ट व प्रमाणित सूचना की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें की इन दोनों वेतनमानों की ग्रेड पे (Grade Pay) के बारे में स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

4. यह है कि आवेदनकर्ता के याचिका संख्या-WPSS No.1911 OF 2016 S/S (CIVIL WRIT PETITION NO.1911 OF 2016 S/S JUDGMENT DATED 19.07.2018) की "माननीय उच्च न्यायालय," नैनीताल, उत्तराखण्ड के निर्णय वह जजमेंट की एक प्रति की स्पष्ट व प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

5. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि सभी लिपिक वर्ग के उच्च श्रेणी लिपिक वर्ग के वह तकनीकी वर्ग के कर्मचारियों तथा सभी वर्ग के कर्मचारियों के लिए संस्थान में प्रबंधन के द्वारा पदोन्नतियों के लिए समयावधि वह कितने-कितने वर्ष के अन्तराल में की जाती है। उसके बारे में स्पष्ट व प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

6. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि संस्थान में अनुभाग अधिकारियों (Section Officers) को दिये जाने वाले वेतनमानों व ग्रेड पे (Pay Matrix Level and PB (Pay Band) के बारे में स्पष्ट व प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

7. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि संस्थान के सभी वर्ग के कर्मचारियों के लिए व मिनिस्ट्रीयल वह तकनीकी वर्ग के कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए नियमानुसार पदोन्नतियों के लिए दिये जाने वाले समयावधि वह कितने-कितने वर्षों में पदोन्नतियां की जाती है व दी जाती है और साथ में सभी कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतनमानों के बारे में (कौन-कौन से वेतनमान पदोन्नतियों) पदोन्नतियों के लिए रखे जाने वाले वेतनमानों के बारे में स्पष्ट व प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें। साथ में (दोनों वर्गों के कर्मचारियों के वेतनमानों व पदोन्नतियों के समय सीमा के बारे स्पष्ट व प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

8. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि जबसे इस संस्थान की जब से स्थापना की हुई है गयी है उसके समय से आज तक वह 2023 तक सभी वर्गों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वह ओबीसी0

जाति में जितने भी वह जो भी कर्मचारियों इस संस्थान में वह प्रबंधन के द्वारा की गयी नियुक्तियों व कर्मचारियों की पद नाम सहित की एक लिस्ट की एक प्रति की स्पष्ट व प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

9. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि इस संस्थान में सभी वर्ग के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची के नामों की (Seniority list) लिस्ट की एक प्रति की स्पष्ट व प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

10. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कार्यालय द्वारा वह संस्थान के प्रबंधन के द्वारा उन सभी कर्मचारियों के जाति के प्रमाण-पत्रों की जाँच कार्रवाई गयी है जिन कर्मचारियों की नियुक्तियाँ अक्टूबर 2002 में भिन्न-भिन्न अनुभागों में इस संस्थान में नियुक्तियों की गयी है व की गयी थी उस समय संस्थान में भिन्न-भिन्न जातियों के कर्मचारियों की नियुक्तियों की गयी है इस प्रकार से उस दौरान भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व ओ0बी0सी0 जाति के कर्मचारियों की नियुक्तियाँ संस्थान के प्रबंधन के द्वारा की गयी है वह की गयी थी उन सभी कर्मचारियों के जाति के प्रमाण-पत्रों की जाँच की कार्रवाई किये जाने के बारे में भी स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें जिनकी नियुक्तियाँ माह अक्टूबर, 2002 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ0बी0सी0 जाति, के कर्मचारियों के प्रमाण-पत्रों की जाँच करवाही जाने के बारे में स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

11. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी (IAO) को दिये जाने वाले वेतनमान व Pay Matrix Level and PB (Pay Band) के बारे में उसकी एक प्रति स्पष्ट व प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

12. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी (IAO) का पद वित्त अधिकारी से उच्चतम है या आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी का उच्चतम श्रेणी का है वह दोनों में से किस वह जिस श्रेणी के अधिकारी का पद उच्च वर्ग का है उसके बारे में स्पष्ट व प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

13. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि संस्थान में अनुभाग अधिकारियों (Section Officers) को दिये जाने वाले वेतनमानों वह ग्रेड पे (Pay Matrix Level and PB (Pay Band) के बारे में एक प्रति स्पष्ट व प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

14. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि संस्थान में फरवरी 2019 के "भर्ती व पदोन्नतियों" नियमावली में, Under the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 के वेतनमानों की OPERATIVE

SCALES (OLD AND REVISED PAY SCALES TABLE) AND OLD SCALES and REVIED PAY SCALES) and 6th Pay COMMISSION-2006 and 7th PAY COMMISSIOM Central Civil Servies (Revised Pay) Rules, 2016 PAY SCALES-2016 TABLE के वेतनमानों के वेतन तालिका के छोड़े जाने के बारे में भी इस पर स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

15. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि कार्यालय आदेश संख्या वह **WII/2022/15 dated 29.06.2022** के **Departmental Promotion Committee (DPC) meeting held on 29.06.2022** को जिस-जिस कर्मचारियों को **Pay Matrix Level-8** के वेतनमान दिये जाने वाले कर्मचारियों वह अधिकारियों के बारे में स्पष्ट व लिखित व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

16. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि कार्यालय आदेश संख्या व **File No. WII/ADM/Contrractual Staff/2022 dated 16th September 2022** न भर्ती का विज्ञापन निकाला गया न ही परीक्षा आदि हुई वह व्यक्तिगत पत्रों के द्वारा सीधी नियुक्ति कर ली गयी है इससे भारत के संविधान के अनुच्छेद-14 और अनुच्छेद-16 का सीधा-सीधा उल्लंघन किया जा रहा वह हो रहा है जोक किसी विज्ञापन के प्रकाशन के बिना ही संविदा कर्मचारी (**Contrractual Staff**) के रूप में रखे जाने के बारे में स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें तथा इसकी किसी को जानकारी के बारे में भी अवगत ही नहीं करवाये जाने के बारे में वह साथ में जो वेतनमान दिया जा रहा है वह किस आधार पर फिक्स किये जाने के बारे में भी इस पर भी यह स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें जो वेतनमान श्री राजीव कुमार मेंहता को दिया जा रहा है इस वेतनमान की गणना किस वह जिस आधार पर इसकी गणना की गयी है उसके बारे में भी स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

17. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि कार्यालय विज्ञापन वह कार्यालय आदेश वह **Advt. WI/ADM/2015-16/04** वर्ष 2016 में 11 पदों के लिए प्रबंधन के द्वारा सहायक ग्रेड-III (**ASSISTANT GRADE-III**) के पदों के लिए मंत्रालय से संवैधानिक रूप से इन पदों के लिए स्वीकृति प्रशासनिक पदों के लिए वह कुल 11 पदों की स्वीकृति ली गयी थी जोकि सभी पद **ASSISTANT GRADE-III** की थी। जिसमें से 1 पद अनुसूचित जाति वह 4 पद ओ0बी0सी0 जाति के लिए स्वीकृति मंत्रालय से ली गयी थी इस 1 पद (**S.T.**) अनुसूचित जनजाति वह 4 पद ओ0बी0सी0 (**OBC**) जाति के कर्मचारियों की थी उसके बारे में स्पष्ट वह प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें इन पदों की नियुक्तियां रखे जाने वाले कर्मचारियों के नामों के बारे में उसके बारे में भी स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

18. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि जिसके विरुद्ध सभी संविदा कर्मचारी माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड के न्याय वह इन सभी 11 पदों के विरुद्ध न्यायालय के शरण में गये थे वह हैं तो उन सभी कर्मचारियों को उन 11 पदों के अनुसार वेतनमान निर्धारण पर करना चाहिए था लेकिन प्रबंधन के द्वारा तकनीकी पदों पर दिये जाने वाले कर्मचारियों को तकनीकी वर्ग के समान पद वह वेतनमान के बारे में इस पर यह स्पष्ट वह प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें। की मनमाफिक के अनुसार तकनीकी पदों पर रखे गये कर्मचारियों के बारे में स्पष्ट वह प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें यह किस आधार पर दिया जा रहा है। यह "माननीय उच्च न्यायालय " वह "सुप्रीम कोर्ट" के अनुसार नियमों वह आदेशों का वह के पालनों का उल्लंघन किया जा रहा है।

19. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि संविदा वर्ग के सभी कर्मचारियों को इन पदों के विरुद्ध सभी संविदा कर्मचारी माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के शरण वह अपने हक के लिए केस दायर किया गया था जोकि कार्यालय विज्ञापन संवैधानिक के रूप में वह कार्यालय विज्ञापन जारी संख्या-Advt. WII/ADM/2015-16/04 वर्ष 2016 में 11 पदों के विरुद्ध सभी संविदा कर्मचारी माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल गये थे इसकी Writ Petition (S/S) No.319 of 2016 है फिर प्रबंधन के द्वारा तकनीकी वर्ग में इन कुछ संविदा कर्मचारियों को जिस आधार पर तकनीकी के पदों पर वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में स्पष्ट वह प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

20. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि यही आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा निर्णय दिय गया है। फिर किस आधार पर संविदा वर्ग जोकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपना केस वह उन सभी कर्मचारियों के पक्ष निर्णय दिया गया है। जिसकी SLP (C) No.4401-4402/2019 Shri Gyanesh Chhibber and Others के नाम से दर्ज वह अन्य सभी संविदा वर्ग के कर्मचारी है जोकि एक प्रकार से "माननीय सर्वोच्च न्यायालय" के निर्णय के आदेशों का अनुपालनों का उल्लंघन किया जा रहा है वह इसके बारे में स्पष्ट वह प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें की इन सभी को किस आधार पर तकनीकी वर्ग में रखे जाने के बारे वह कहीं तो तकनीकी के पदों पर वह अनुभागों है ही नहीं है।

21. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि संविदा वर्ग के सभी कर्मचारियों को इन 11 पदों के विरुद्ध "उच्च न्यायालय" में गये थे तो इसके अनुसार ही इन सभी कर्मचारियों को कुछ कर्मचारियों को प्रशासन पदों पर नियुक्तियां देते हुए वर्गीकरण किया जाना चाहिए था लेकिन प्रबंधन के द्वारा कुछ तकनीकी वर्ग वह पदों पर वर्गीकरण किसे जाने के कारण कुछ कर्मचारियों के जोकि स्थाई कर्मचारी है उनके लेबल के समान दिये जाने वाले वेतनमानों को दिये जाने के बारे में इसके बारे में स्पष्ट वह प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें जबकि तकनीकी वर्ग के पदों कुछ अनुभागों में पहले से ही पद रोस्टर के अनुसार पूर्ण होने के कारण प्रबंधन के द्वारा इसकी अनदेखी किये जाने के बारे में भी वह इसके बारे में भी स्पष्ट वह प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

22. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि संविदा वर्ग के सभी कर्मचारी इन 11 पदों पर रखे जाने के विरुद्ध कार्यालय विज्ञापन संवैधानिक रूप से जारी वह विज्ञापन संख्या वह Advt. WI/ADM/2015-16/04 वर्ष 2016 में 11 पदों के लिए प्रबंधन के द्वारा सहायक ग्रेड-III ASSISTANT GRADE-III के पदों के लिए मंत्रालय से कुल 11 पदों की स्वीकृति ली गयी थी जोकि यह पद लिपिक वर्ग के लिए थे जिसकी स्वीकृति मंत्रालय से ली गयी थी जैसेक-Assistant Grade-III PB-1 Rs.520-20200+ Grade Pay Rs.190/- Group "C" के पदों पर नियुक्तियां होनी थी तो कार्यालय वह प्रबंधन के द्वारा संविदा कर्मचारियों के पदों पर रखे जाने के बारे में स्पष्ट वह प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

23. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है किसी अनुभागों में यह पद वह तकनीकी पद रिक्त न होने के कारण भी उन्हें संविदा वर्ग के कर्मचारियों को तकनीकी वर्ग में रखे जाने के बारे में स्पष्ट वह प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

24. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि जो 4 पद (OBC) 1 पद अनुसूचित जनजाति (S.T.) का था वह 4 पद Other Backward Class (OBC) के थे वह हैं इन पदों पर नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों के बारे में स्पष्ट वह प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें। कुल पर 11 पदों पर नियुक्तियां होनी थी जिसमें से 1 पद अनुसूचित जनजाति वह 4 पद ओ0बी0सी0 के जाति के कर्मचारियों के कार्यालय विज्ञापन संख्या-Advt.WII/2015-16/04 -वर्ष 2016 में जारी की गयी थी जिनमें से 5 पद आरक्षित थे जोकि 1 पद अनुसूचित जनजाति के वह 4 पद ओ0बी0सी जाति के थे तो इन पदों पर रखे जाने वाले कर्मचारियों के नामों के बारे में इस स्पष्ट वह प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

25. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है संविदा के सभी कर्मचारियों को मनमाफिक पद वह वेतनमान दिये जाने के बारे में स्पष्ट वह प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें यह जिस नियमानुसार दिये जा रहें हैं उस नियमों के बारे में इस पर प्रबंधन के द्वारा दिये गये वह किये गये निर्णय वह की आन्तरिक प्रबंधन के द्वारा दिये गये निर्णय पर टिका-टिप्पणी की एक प्रति स्पष्ट वह प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

26. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि इस प्रकार संविदा कर्मचारियों का वर्गीकरण तकनीकी वर्ग में रखे जाने पर "माननीय उच्च न्यायालय" नैनीताल, उत्तराखण्ड के वह "माननीय सर्वोच्च न्यायालय" नई दिल्ली के निर्णयों का पालन न करते हुए भारत सरकार के नियमों के वह उच्च न्यायालय वह सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के उल्लंघन किये जाने के बारे में स्पष्ट वह प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें

27. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि वर्ष 2009 से 2019 के बीच जिन कर्मचारियों को 4-4 MACP and ACPS के लिए आर्थिक लाभ दिये जाने के बाद उन्ही सभी कर्मचारियों को 3-3 पदोंन्नतियों के

लिए दिये गये पदोन्नतियों के लिए वह दिये जाने वाले कर्मचारियों के नामों वह वेतनमानों के बारे में स्पष्ट वह प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

28. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि वर्ष 2015-16 वह 2016-17 के वित्ती वर्ष के बोनस की वसूली किये जाने वाले वह ऑडिट पार्टी ने जोकि इस बोनस की वसूली के लिखे गये आदेश की एक छाया प्रतिलिपि की कापी सत्यापित वह स्पष्ट प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

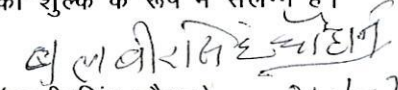
30. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि जिसके विरुद्ध सभी संविदा कर्मचारी माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के न्यायालय में वह इन 11 पदों के विरुद्ध गये थे तो उन सभी कर्मचारियों को 11 पद लिपिक वर्ग के अनुसार Assistant Grade-III के विरुद्ध के अनुसार संविदा वर्ग के कर्मचारियों को वेतनमानों का निर्धारण पर किया जाना चाहिए थे लेकिन संस्थान प्रबंधन के द्वारा तकनीकी के पदों पद यिे जाने वाले कर्मचारियों को जिनके कारण स्थाई पद वह वर्ग के तकनीकी वर्ग के समान पद वह दिये जाने वाले वेतनमानों के बारे में इस यह स्पष्ट वह प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें की ये मनमाफिक के अनुसार तकनीकी पदो पर रखे गये कर्मचारियों के बार में भी यह स्पष्ट वह प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें जोकि तकनीकी वर्ग में पदों वर्गीकरण करते हुए साथ तकनीकी वर्ग के कर्मचारियों के समान वेतनमान दिये जाने पर यह माननीय उच्च न्यायालय वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार नियमों वह आदेशों का वह निर्णय के पालन ने किये जाने पर वह एक प्रकार से न्यायालयों के नियमों का उल्लंघन है और साथ में पहले से स्थाई पद के कर्मचारियों के प्रभावित होने पर उन तकनीकी कर्मचारियों को कार्यालय द्वारा दिये गये आर्थिक लाभों के बारे में जोकि इसके कारण प्रभावित होने वाले कर्मचारियों के बारे में स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

नोट: यदि यह सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्ध नहीं रखती है तो उसकी सूचना अधिनियम की धारा 6 (3)

प्रावधानुसार आप इसे सम्बन्धित कार्यालय को फॉरवर्ड कर देंगे और उसकी एक प्रति हमें भी भेजने की कृपा करें तथा हिन्दी में सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

31. आवेदन कर्ता द्वारा जमा द्वारा जमा शुल् करने का प्रमाण-पत्र : धनराशि रुपये 10/-—पोस्टल आर्डर संख्या 56F 355309 दिनांक 21/01/2023 को शुल्क के रूप में संलग्न है।

32. आवेदक के हस्ताक्षर व पता


(बलबीरसिंह चौहान) 21-1-2023
मकान न0-1, लेन न0-1,
महिमा एनक्लेव केहरी गॉव,
पो0ओ0—चन्दनवाड़ी, प्रेमनगर,
देहरादून—248007, उत्तराखण्ड
फोन न0—9411108609।
E-mail:bsc@wii.gov.in

प्रतिलिपि: The Under Secretry of MOEF, New Delhi for Information.



भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

(An Autonomous Institution of Ministry of Environment, Forest and Climate Change,
Government of India)

Chandrabani, Dehra Dun - 248 001, INDIA
EPBAX: 0135-2640111 and 2640112, FAX: 2640117
Website: www.wii.gov.in, E-MAIL: wii@wii.gov.in

RECRUITMENT FOR THE POST OF ASSISTANT GRADE – III

Advt. WII/ADM/2015-16/04

Wildlife Institute of India, Dehradun, an Autonomous Organization under the Government of India, Ministry of Environment, Forests and Climate Change invites applications for recruitment to the posts of Assistant Grade – III as detailed under:-

(A) Description of Post

Sl. No.	Name of the Post and Pay Scale	No. of Posts	Educational & other qualifications required for the post
1.	Assistant Grade-III PB-1 Rs. 5200-20200 + Grade Pay of Rs. 1900/- Group 'C'	11	(i) 12 th Class or equivalent qualification from recognized Board or University (ii) English Typing @35 w.p.m. OR Hindi Typing@30 w.p.m. only on computers (Time allowed 10 minutes) (35 w.p.m and 30 w.p.m correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depression each word)

(B) Reservation

Un-reserved (UR)	Scheduled Caste (SC)	Scheduled Tribe (ST)	Other Backward Class (OBC)	Total	PWD
06	-	01	04	11	Out of 11 vacancies 02 Nos. are reserved for Persons with Disabilities (PWD) in accordance with Persons with Disabilities Act. Candidates of any category may apply for the post.

(C) Age Limit

Sl. No.	Category	Age limit as on the last date of receipt of applications.	Remarks
(a)	UR	18 to 27 years	As per Government of India rules.
(b)	OBC	18 to 30 years	
(c)	SC/ST	18 to 32 years	
(d)	UR (PWD)	18 to 37 years	PWD person should be in possession of Medical certificate issued by CMO/Civil Surgeon of Govt. Hospital certifying the disability.
(e)	OBC (PWD)	18 to 40 years	
(f)	SC/ST (PWD)	18 to 42 years	
(g)	Permanent employees of WII/Central and State Government/ Autonomous Bodies/ Govt. Universities	18 to 40 years	In accordance with the instructions or orders issued by Central Government
(h)	Candidates of J&K who have ordinarily been domiciled in the state of J&K during the period from 1.1.80 to 31.12.89	18 to 32 years	

(D) Method of Recruitment /Selection Process: The selection of the candidates will be on the basis of written test, typing test and interview as per maximum marks given against each test/interview.

- (i) Written test – 40 marks
- (ii) Typing Test – 35 marks
- (iii) Interview – 25 marks

(E) Criteria for Calling the Candidates: The criteria for calling the candidates in written test, typing test and interview will be as under:-

- (i) All shortlisted candidates after screening will be called for written test.
- (ii) The candidates who qualify the written test will be called for typing test. The qualifying marks will be 40% of the maximum marks in the written test.
- (iii) Out of these the candidates scoring at least 40% qualifying marks in written test, the first 30 candidates from UR category, first 60 from OBC and first 15 from ST category will be called for typing test. Accordingly, maximum of 165 candidates will be called for typing test. Number of candidates called for typing test may be less than the above mentioned limits in case lesser number of candidates score qualifying marks in written test.